

171

क्रि. - 903- 116

न्यायालय मान्नीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर एट ग्वालियर

निगरानी क्रमांक ..... / 2016

1. मलखान तनय अनंदी बाढ़ई आयु 72 वर्ष
  2. श्याम लाल तनय अनंदी बाढ़ई आयु 67 वर्ष  
दोनो निवासियान नंदनवारा तहसील मोहनगढ  
टीकमगढ (म0प्र0)
- .....निगरानीकर्तागण / आवेदकगण

दिनांक 15-3-16 को  
श्री श. क. बुद्धा पत्नी कोष बनाम  
डा. अ. प्र. त.

बका  
15-3-16

50  
15.3.16

1. हल्के तनय बुद्धा पत्नी केशरबाई सौर निवासी  
नंदनवारा तहसील मोहनगढ जिला टीकमगढ(म0प्र0)
  2. कुंजी तनय भाजू पत्नी पनकूबाई सौर निवासी मऊ  
बछौड़ा तहसील जतरा जिला टीकमगढ (म0प्र0)
  3. रामरतन तनय गनू पत्नी जयंतीबाई सौर निवासी मऊ  
बछौड़ा तहसील जतरा जिला टीकमगढ (म0प्र0)
  4. रामलाल तनय बदलिया पत्नी भगुन्दीबाई अहिरवार नि0  
नंदनवारा तहसील मोहनगढ जिला टीकमगढ(म0प्र0)
  5. संतोष तनय काशीर म अहिरवार निवासी  
नंदनवारा तहसील मोहनगढ जिला टीकमगढ(म0प्र0)
  6. थौना तनय मुल्ला अहि वार निवासी  
नंदनवारा तहसील मोहनगढ जिला टीकमगढ(म0प्र0)
  7. सोनाबाई पत्नी संतोष अहिरवार निवासी  
नंदनवारा तहसील मोहनगढ जिला टीकमगढ(म0प्र0)
  8. चिंजू बाई पत्नी थौना अहिरवार निवासी  
नंदनवारा तहसील मोहनगढ जिला टीकमगढ(म0प्र0)
- ..... प्रतिनिगरानीकारगण



धारा -50 मध्यप्रदेश भू0 राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत प्रतिकूल आदेश विद्वान आधिनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जतारा जिला टीकमगढ़ के राजस्व प्रकरण क्रमांक 127 / अपील /2013-14 में पारित आदेश दिनांक 27.02.2016 के विरुद्ध

महोदय ,

निगरानीकर्तागण /आवेदकगण सादर निम्न प्रकार विनयी है।

3

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :- निगरानी-903-दो/2016

जिला-टीकमगढ़

मलखान व अन्य विरुद्ध हल्के आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
12-02-2019	<p>आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। अनावेदक की ओर से श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी जतारा जिला-टीकमगढ़ के प्र.क्र. 127/अपील/2013-2014 में पारित आदेश दिनांक 27-02-2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला-टीकमगढ़ के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 15-4-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p>3</p>	<p>(आर.के. जैन) 12/2/19 सदस्य</p>